रामचरण आदि विरूद्ध शिवनारायण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग –G1 / 14 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक20–5–14 के विरूद्व पेश किया गया है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेख में शिवनारायण, रमेश, रामचरण एवं सुरेश आ. पीरूलाल देवबाई बेवा पीरूलाल भूमिस्वामी हक पर दर्ज है । कमल श्री राजस्व अभिलेख में आवेदित भूमि की रिकार्डेड भूमिस्वामी नही है और इस आधार पर उन्होंने कमल श्री द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किया है तथा प्रकरण जबाव हेतु नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

निवासी [illegible] डाक्टर [illegible]

[illegible] कुछ [illegible]

[illegible] किया [illegible] [illegible]

विरुद्ध

[illegible] पुत्र [illegible]

[illegible] पुत्र [illegible]

[illegible]

[illegible] इतवारा [illegible] भोपाल

2- मकान नंबर [illegible] [illegible]

बंगला बैरसिया रोड भोपाल [illegible] रेस्पान्डेन्टस

[illegible] 59[illegible]